कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA 10 रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA 5 रु. Rs.5 पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

(30)

प्रकरण क्रमांक /2012–13 अपील

A 3812-III/13

21/X/13

1. दिनेश तनय विन्द्रावन रावत
2. महेश तनय विन्द्रावन रावत
3. राजेन्द्र तनय विन्द्रावन रावत
4. श्रीमती मनीषा पत्नी धीरज रावत
5. सोमिल अवयस्क पुत्र धीरज द्वारा

संरक्षक मां श्रीमती मनीषा पत्नी धीरज रावत

सभी निवासीगण–नौगांव तहसील नौगांव

जिला–छत्तरपुर ——आवेदक

विरूद्ध

1. म0प्र0 शासन ——मूल अनावेदक
2. संजीव पुत्र शारदा प्रसाद
3. संजय पुत्र शारदा प्रसाद
4. सौरभ पुत्र शारदा प्रसाद
5. पंकज पुत्र शारदा प्रंसाद

सभी निवासीगण–नौगांव तहसील नौगांव

जिला–छत्तरपुर ——औपचारिक अनावेदक

शाखा प्रभारी (रा.मं.)
कार्यालय महाधिवक्ता,

21-10-2013

अपर आयुक्त सागर संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक 772/2/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 30–07–2013 के विरूद्ध अपील अंतर्गत धारा–44 (2) मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

अपीलार्थीगण निम्नानुसार अपील प्रस्तुत करते है–

XXXIX(a)BR(H)-11

40

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3812–तीन/13

जिला – छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.4.15	आवेदक अधिवक्ता श्री एस. के. वाजपेई एवं अनावेदक अधिवक्ता श्री डी.के. शुक्ला उपस्थित । अपर आयुक्त अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 30.7.13 का अवलोकन किया । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्वयं यह कहा है कि जिस आदेश के विरूद्ध उनके समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है वह कार्यालयीन आदेश है नाकि न्यायालयीन आदेश । आवेदक की ओर से यह तर्क दिया गया है कि इस पत्र के संदर्भ में जब उनकी तरफ से कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न हुआ तब उन्होंने अपील की कार्यवाही की है । आवेदक का उक्त तर्क स्वीकार योग्य है । अतः यह निगरानी इसी स्तर पर स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त को आदेश दिए जाते हैं वह आवेदक की अपील समयावधि में मान्य ग्राह्य कर प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर करें । प्रशा. सदस्य	